फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री रामा **विपक्षी : श्री भंवरलाल**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 37/19**

जीसीएमएस : 2019/00125

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 24.04.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थीगण द्वारा धारा 88, 53ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। वादग्रस्त भूमि मौजा गाडवा पटवार हल्का मेडता तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की खाता संख्या 117 पर दर्ज आराजी नम्बर 250 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि वर्तमान में विपक्षीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज रेकार्ड हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण के पिता देवा जी एवं विपक्षीगण के पिता उदा जी का उक्त जमीन पर बराबर बराबर कब्जा होकर उपयोग उपभोग करना बताया तथा प्रार्थीगण द्वारा 1/2 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षीगण खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा संतुलन का बिन्दू विपक्षीगण के पक्ष में प्रतीत होता हैं। चूंकि खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में यदि विपक्षीगण खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो इससे उनके हक अधिकारों पर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होते हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:42 IST
Reason: SelfAttested